Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2581- 6306

मानवाधिकार और नारी

डा0 रुचि पाण्डेय
एसो.प्रोफे. संस्कृत, आगरा कॉलेज, आगरा, उत्तर प्रदेश।

सारांश– नारी और उसकी अस्मिता तथा अधिकार को सुरक्षित करने के लिए एक लम्बा रास्ता है, जिसे सजगता और नियम से सुरक्षित करना होगा।
मुख्य शब्द– मानवाधिकार, नारी, अस्मिता, अधिकार, भाव,साहित्य।

सूरज से नहीं आई नई किरणें,
नहीं मना नव वर्ष।
बंसत ने नहीं किया श्रृंगार,
पीली सरसों पर नहीं टंकी लाल बिदिया!
न चुनरियों पर दमके पुखराज
कहीं कोई सुर न जगा घाट पर,
गंगा ने स्वीकार नहीं किए दीप
गुलजार के गीत नहीं गूँजे नव वर्ष में,
न लतामंगेशकर ने गाया नव गान।
पुराना वर्ष जाते–जाते दे गया था एक घाव
एक लड़की के रक्त से रंगी थी धरती
बस थी मूक उदास
समय से पहले विदा हो गया नव वर्ष
समय से बहुत पहले।
धरती की रंगत धुली न थी,
कि फिर रंग गई बेटी के खून से।
रंगने फागुन तो आया पर बैरंग करके,
कसक रह गई मन में, आँसू सूख चुके
आवाज एक ही है सब ओर से
कहाँ है नारी की अस्मिता ?
कहाँ है स्त्री का सत्य और अस्तित्व ?
कहाँ है उसकी मुक्ति और कहाँ हैं उसके 'अधिकार' ?

इन्हीं भावों के साथ हार्दिक श्रद्वांजलि उन बेटियों को जो पैशाचिक वृत्ति का शिकार होकर असमय हमसे दूर चली गईं।

'यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, रमन्ते तत्र देवताः' का गान करने वाली इस पावन भारतभूमि पर, मानवाधिकार विषय पर चिन्तन करने से पूर्व 'मानवाधिकार' को व्याख्यायित करना आवश्यक है। 'मानवाधिकारों' से अभिप्राय 'मौलिक अधिकारों' एवं स्वतन्त्रता से है, जिसके सभी मानवप्राणी अधिकारी हैं। यथार्थ में देखा जाय तो किसी भी इन्सान की 'जिन्दगी', 'बराबरी ओर सम्मान का अधिकार है। 'मानवाधिकार' में अधिकारों एवं स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक तथा शिक्षा के अधिकार के साथ–साथ भोजन व काम करने का अधिकार भी सम्मिलित है।

भारतीय संविधान, इस अधिकार की न सिर्फ गारण्टी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा भी देती है। पर ये समझ पाना इतना दुष्कर है कि क्या यथार्थ में इन 'मानवाधिकारों' की सार्थकता है। तमाम प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर, पर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के बाद भी 'मानवाधिकार' तमाम तरह की विसंगतियों और विद्रूपताओं से परिपूर्ण है विशेष रूप से 'नारी' के सन्दर्भ में।

नारी की 'स्थिति' और 'अधिकार' को समझने से पहले पूर्वावलोकन करें तो सर्वप्रथम सन् 1946 में महिलाओं के मुद्दों का निपटारा करने के लिए महिलाओं की प्रस्थिति पर आयोग की स्थापना की गई थी, फिर भी महिलाओं के विरूद्व व्यापक भेदभाव विद्यमान है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि महिलाओं एवं लड़कियों पर समाज द्वारा अधिरोपित अनेक प्रतिबन्धनों की जंजीरें हैं। इन्हीं कारणों से अधिकारों की समानता तथा 'मानवाधिकारों' के सम्मान के सिद्वान्त का उल्लंघन भी हुआ है।

हाँलाकि ऐसे कई क्षेत्रों का नामोल्लेख हुआ है, जहाँ राज्य के लिए महिलाओं के विरूद्व भेदभाव दूर करने के लिए कहा गया है, जिनमें शिक्षा, नियोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति, विधि के समक्ष समानता, विवाह, परिवार सम्बन्ध प्रमुख है।

निरन्तर विकास की ओर बढ़ते देशों ने यह माना कि नारी की स्थिति को सुधारे बिना तथा नारी को शिक्षित किए बिना यह सम्भव नहीं कि वह विकासशील देश माना जाय। इस अभिप्राय से अभिभूत संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्यायोजित अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक (1976–85) के दौरान तीन सम्मेलन पहला 1975 में 'मैक्सिको सिटी' में दूसरा 1980 को 'कोपेनहेरान' में तथा 1985 में 'नैरोबी' में आयोजित किया गया। चौथा विश्व महिला सम्मलेन 1995 में 'बीजिंग' में हुआ जो राष्ट्रीय महिला आन्दोलनों एवं अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच अमूल्य कड़ी बना।

अथक प्रयास व सुझावों के बाद भी नारी की स्थिति पर गम्भीर विचार करने हेतु ये सम्मेलन एवं अभिसमय तथ्य दृष्टि से अच्छा परिणाम नहीं दिखा सके, क्योंकि विश्वव्यापी स्तर पर इनका विभिन्न तरीकों से उल्लंघन किया जा रहा है। महिलाओं के प्रति यह स्थिति इसलिए चिन्ताजनक है, क्योंकि इसकी जड़ें सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई हैं, और वे अन्तर्राष्ट्रीय करारों के परिणाम स्वरूप परिवर्तित नहीं हो सके।

समाज का अधिकांश प्रतिशत ऐसा है कि माता–पिता नहीं चाहते कि बेटी पर पैसा खर्च हो और व्यवस्था नहीं चाहती कि शिक्षा पर धन खर्च हो 'एससोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनियन द्वारा' प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर आज देश में लगभग 35% महिलाऐं जो 15 वर्ष से अधिक की है, ही शिक्षा प्राप्त कर रही है, जबकि विदेशों में यह आंकड़ा 85% और 90% है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि पश्चिम में व्यक्ति केन्द्रित समाज है, वहाँ स्त्री स्वतन्त्र इकाई बनकर रहने का सपना पाल सकती है, लेकिन इसके विपरीत भारत में परिवार केन्द्रित समाज है, जहाँ स्त्री स्वयं को समाज का अङ्ग मानती हैं चाहे उसे परिवार में दास का दर्जा ही क्यों न हासिल हो। घर की देहलीज के अन्दर स्त्री–माँ, पत्नी, पुत्री, बहिन ही है, जहाँ उसका पद, नाम, अस्तित्व सब तिरोहित हो जाता है और वह मानसिक, शारीरिक आर्थिक हिंसा का शिकार

होती हुई भी कल के उगने वाले सूरज का इन्तजार करती है जो उसे सुनहरे उजाले का दर्शन करायेगा। नारी के जीवन को उन्नतशील बनाने के लिए जिन संवैधानिक और राजनैतिक व्यवस्थाओं का जामा पहनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वे अपना उचित स्थान प्राप्त कर चुकी है।

आज भी खाप पंचायते है उनके बीच स्त्री को जंजीरों में जकड़ने की कोशिशें हो रही हैं। स्त्री के व्यक्तिगत निर्णय कुचले जा रहे हैं, सरेआम हत्या हो रही है, बलात्कार किए जा रहे हैं असुरक्षा के भय के कारण घर से नहीं निकलती है 2. संसार में आने से पूर्व बेरहमी से मारा जा रहा है, वहाँ यह कहना असंगत है कि स्त्री को समस्त अधिकार प्राप्त है। वास्तव में इन अधिकारों का प्रयोग उनके सम्बन्धी कर रहे हैं।

नारियों का कितना प्रतिशत ऐसा है, जो न 'अधिकार' जानता है न मानवाधिकार और न उसका लाभ। स्त्री तो मात्र व्यापार की वस्तु है, पुरूष सत्ता तो शालीन रहकर उसके संघर्ष को छीनकर दिशाहीन बना रही है।

'आरूषि काण्ड', 'दामिनी काण्ड', 'नेहा काण्ड' और वे काण्ड जो कभी प्रत्यक्ष नहीं हुए या पुलिस फाइलों में बन्द कर दिए गए या करवा दिए गए अबूझ ही है, जहाँ सरकार न्यायालय, समाज सब मजबूर हो जाते है, क्योंकि आरोपी के बचाव पक्ष में खड़ा वकील 'मानवाधिकार' की बात कहकर दलील देता है कि मानवीय संवेदना के आधार पर निर्णय दिया जाये।

1. हर तेरह घण्टे में एक बलात्कार
2. 56 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में युवतियों कॉलेज नहीं जाती हैं।

यदि गम्भीरता से 'नारी और मानवाधिकार' की बात की जाय तो कतिपय सुझाव अमल में लाये जा सकते हैं।

1— प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पाठ्यक्रम में सुधार किया जाये।

क— संस्कृत को प्राथमिक शिक्षा से लागू किया जाये।

ख— विधि सम्मत पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू किया जाये।

ग— छात्राओं के लिए आत्म सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाये। (एन0सी0सी0 है किन्तु ऐच्छिक रूप में व्यवहारिक शिक्षा भी अनिवार्य की जाए।)

2— टी0वी0 चैनल्स पर अश्लील दृश्यों पर रोक लगे।

3— महाविद्यालयों में समय–समय पर विधिसम्मत, पुलिस विभाग से सम्बन्धित सुरक्षा नियम, बैंक सम्बन्धी जानकारी, संगोष्ठी के माध्यम से उपलब्ध करायी जाये।

4— आर्थिक व राजनैतिक सुरक्षा में तो सरकार ने काफी कार्य किए हैं जिनमें संविधान के अनुच्छेद 15 (3) में यह उल्लिखित है कि राज्य महिलाओं के लिए विशेष सहयोग उपलब्ध कर सकता है। फलस्वरूप पंचायतों 1— तथा नगर पालिकाओं 2— उनके पक्ष में 33 सीटों का आरक्षण कर दिया गया है। यह संशोधन भारत में स्त्रियों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर है।

1. अनुच्छेद 243— घ 'संविधान (73 वी संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निर्दिष्ट)
2. अनुच्छेद 243— न संविधान (74 वॉ संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निर्दिष्ट)

फिर भी नारी और उसकी अस्मिता तथा अधिकार को सुरक्षित करने के लिए एक लम्बा रास्ता है, जिसे सजगता और नियम से सुरक्षित करना होगा।

अन्त में

सवाल बेहद उलझे हुए हैं,
उन्हें सुलझाने की कोशिश करो दोस्तो।
सवाल बड़े गहरे उठे है हमारी अस्मिता पर

उन्हें हल करने की कोशिश करो दोस्तो!!
तुम भी किसी के बेटे हो किसी के भाई,
वे सारे रिश्ते तुमने लजाये हैं दोस्तो
न कोई दण्ड है इस पाप का न कोई सजा
तुम्हारे कर्म ने बड़ी सजा भी छोटी बनाई है दोस्तो

अनुक्रमणिका

1. रामायण – वाल्मीकि
2. महाभारत – वेदव्यास
3. भरतीय संस्कृति के तत्व – डॉ0 शशि तिवारी
4. अन्तर्राष्ट्रीय विधि और मानवाधिकार – डॉ0 एच0ओ0 अग्रवाल
5. इण्टरनेशनल लॉ एण्ड ह्यूमन राइट्स 15 संस्करण 2008 – डॉ0 एच0ओ0 अग्रवाल